संख्या-46/2019/642 मंत्री/26-3-2018

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 25 फरवरी 2019

विषय:- **वनबन्धु कल्याण योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में जनपद-लखीमपुरखीरी में मिनी स्टेडियम के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-220/2018/2566/26-3-2018, दिनांक-29.10.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वनबन्धु कल्याण योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में जनपद-लखीमपुरखीरी में मिनी स्टेडियम के निर्माण कार्य कराये जाने की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुये कार्यदायी संस्था के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0, लखनऊ (यू0पी0आर0एन0एस0एस0 लि0) को नामित किया गया था।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक्विचारोपरांत उक्त निर्माण कार्य हेतु पूर्व में नामित कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0, लखनऊ (यू0पी0आर0एन0एस0एस0 लि0) के स्थान पर उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ (यू0पी0पी0सी0एल0) को कार्यदायी संस्था के रूप में नामित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3- शासनादेश संख्या-220/2018/2566/26-3-2018, दिनांक-29.10.2018 में उल्लिखित अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव

पृ.संख्या-46/2019/642 मंत्री/26-3-2018 तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा)प्रथम,उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0इलाहाबाद।
3. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0, लखनऊ।
4. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. जिलाधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी, लखीमपुर-खीरी।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।